



# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

Water Development Authority

Ministry of Water Resources, Government of India

Ministry of Water Resources, Government of India

Ministry of Water Resources, Government of India



मिसेल सं० 10/12/2021-प्रशा./ 100-100

दिनांक: 14 मार्च, 2024


## कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन करने के संबंध में ।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2024-ई-11 (बी) दिनांक 12.03.2024 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर को 01.01.2024 से 46% से 50% की वृद्धि की गई है ।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि रा.ज.वि.अ. के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2024 से देय महंगाई भत्ता की मौजूदा दर 46% से बढ़ाकर 50% किया गया है ।

संलग्न: यथोपरि ।

  
(राहुल द्विवेदी)  
निदेशक (प्रशा.)

## प्रतिलिपि:

1. मुख्य अभियंता (उत्तर)/(दक्षिण), रा.ज.वि.अ., लखनऊ/हैदराबाद ।
2. निदेशक (तक./एससीएलआईआर/एमडीयू/वित्त/प्रशासन) रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ।
3. अधीक्षण अभियंता (उत्तर/दक्षिण), रा.ज.वि.अ., पालिका भवन, नई दिल्ली ।
4. सभी अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ. ।
5. सभी कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ. ।
6. सहायक अभियंता, अन्वेषण उप-प्रभाग, रा.ज.वि.अ., जयपुर/पन्ना ।
7. सहायक निदेशक (रा.भा.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ।
8. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली ।
9. बेवमास्टर, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली ।
10. कार्यालय आदेश फाईल/गार्ड फाईल ।
11. नोटिस बोर्ड ।

## प्रातिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ।
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ।